

प्रेषक,

बी०एल० गीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
6. समस्त नगर आयुक्त, उ०प्र०।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2019

विषय:-निराश्रित/बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु "मा० मुख्य मंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना" का प्रख्यापन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ पर 2012 की पशुगणना के अनुसार 205.66 लाख गोवंश हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में 10 से 12 लाख निराश्रित/बेसहारा गोवंश होने का अनुमान है। विभाग द्वारा निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र/गोवंश वन्य विहार (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में)/पशु आश्रय गृह स्थापित एवं संचालित कर उनका संरक्षण एवं भरण-पोषण किया जा रहा है।

2- सम्प्रति पशुधन विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से निराश्रित/बेसहारा गोवंश संरक्षण, संवर्द्धन विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-4324/सैतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक-02.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-261/सैतीस-2-2019-5(53)/2018, दिनांक-28.01.2019 के क्रम में प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा उपवन, कांजी हाऊस, कान्हा आश्रय एवं वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र स्थापित एवं संचालित हैं। दिनांक-24.07.2019 तक प्रदेश में 4033 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, 150 वृहद् गो संरक्षण केन्द्र, कान्हा गोशाला 130 एवं कांजी हाऊस 393 में 2,74,691 गोवंश संरक्षित

हैं।

3- इसके अतिरिक्त प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं की संख्या 523 है। उक्त पंजीकृत गोशालाओं को राज्य सरकार द्वारा कुल संरक्षित गोवंश की संख्या के 70 प्रतिशत की संख्या को आधार मान कर रु0 30/- प्रति गोवंश 365 दिनों के लिए प्रदान किया जा रहा है। यह संज्ञान में आया है कि स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश की आश्रय स्थलों में अधिक संख्या में होने के कारण उनके रख-रखाव में असुविधा हो रही है जिसके दृष्टिगत एक ऐसी योजना प्रख्यापित किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश का संरक्षण/भरण-पोषण में सामाजिक सहभागिता बढ़ायी जाय व ऐसे व्यक्ति जो निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण, संरक्षण एवं संवर्द्धन के इच्छुक हैं उन्हें जिला प्रशासन के माध्यम से चिन्हित कर निराश्रित/बेसहारा गोवंश सुपुर्द किया जा सके।

4- निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पूर्णरूप से संरक्षण भरण-पोषण प्रदान किया जाना सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित है कि वर्तमान में व भविष्य में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित विभिन्न प्रकार के गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित/बेसहारा गोवंश को स्थापित प्रक्रिया द्वारा इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द करते हुए इस योजना के क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ायी जाये।

5- अतएव स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, वृहद गोसंरक्षण केन्द्र/गोवंश वन्य विहार (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में)/पशु आश्रय गृह में संरक्षित गोवंश को सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्देशन में चिन्हित किये गये ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाने की निम्नवत् योजना प्रख्यापित की जा रही है:-

5(1) नीति विषयक शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक-02.01.2019 के प्रस्तर-7.8 के संलग्नक-1 एवं शासनादेश संख्या-261/ सैंतीस-2-2019-5(53)/2018, दिनांक-28.01.2019 निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों के प्रस्तर-5 में गोवंश को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्दगी किये जाने का उल्लेख है।

5(2) जिलाधिकारी जनपद में ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करायेंगे जो निराश्रित गोवंश को पालने हेतु तैयार हैं। ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा रु0 30/- (रु0 तीस मात्र) प्रति गोवंश/प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित कृषक/पशुपालक/ अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।

- 5(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश (जिनमें ईयर टैग अनिवार्य होगा) को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सरकार/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा।
- 5(4) सरकार द्वारा संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों से सुपुर्द किए गये गोवंश से सम्बन्धित अभिलेखीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय समिति (यथा-ग्राम पंचायत, विकासखण्ड, तहसील, जनपद स्तर) के माध्यम से करायी जायेगी एवं स्थानीय समिति प्रगति से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ उप-जिलाधिकारी को समय से अवगत करायेगी।
- 5(5) चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति सुपुर्द किए गये गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा न ही छुट्टा छोड़ेगा।
- 5(6) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में 01 लाख गोवंश को सुपुर्द किया जाना है।
- 5(7) इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों का चयन शासनादेश संख्या-4324/सैतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक-02.01.2019 के प्रस्तर-7.8 के अनुसार गठित विकास खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के क्रम में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
- 6(1) कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार-**
- (क) कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों जिसका/जिनका व्यापक प्रसार एवं जनपद में अधिक पढ़ा जाता हो, में जिलाधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय।
- (ख) प्रत्येक ग्राम सभा, बी0डी0सी0 एवं पंचायतों की खुली बैठक के एजेण्डा बिन्दु में निश्चित रूप से सम्मिलित करते हुए प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देने का दायित्व पंचायती राज विभाग का होगा।
- (ग) जनपद के प्रत्येक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर जन-मानस को जानकारी हेतु चस्पा किया जाय।
- (घ) प्रत्येक गोष्ठी, पशु बाजारों, मेलों तथा विकास खण्ड तथा मण्डल स्तरीय पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविरों में प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय।
- (ङ) रेडियो, एफ0एम0 चैनल तथा स्थानीय टेली मीडिया पर प्रचारित-प्रसारित किया जाय।
- (च) अन्य प्रचार माध्यम जो उपलब्ध हो का भी प्रयोग किया जाय।
- (छ) प्रचार-प्रसार का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जनपद स्तरीय समिति का होगा।
- 6(2) कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति के चयन हेतु मापदण्ड/मानक**
- (क) इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति सम्बन्धित विकास खण्ड का मूल निवासी हो तथा वर्तमान में निवास कर रहा हो।
- (ख) इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति पशुओं का पालन-पोषण पूर्व से कर रहा हो, को प्राथमिकता दिया जाना।

- (ग) इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को अधिकतम चार गोवंश ही दिया जाना जिसमें नववत्सों की गणना नहीं किया जाना अर्थात् मादा गोवंश + दूध पीता बछिया व बछड़ा को एक माना जाय।
- (घ) चिन्हित किए जाने वाले इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति के नाम से आवेदन की तिथि को किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक में आधार लिंक क्रियाशील बचत खाता हो।
- (ङ) दुग्ध समितियों से जुड़े कृषक/पशुपालक को प्राथमिकता दी जाय।
- (च) पशुपालन विभाग/उ०प्र० पशुधन विकास परिषद द्वारा प्रशिक्षित पैरावेट्स/पशुमित्र को प्राथमिकता दी जाय।
- (छ) चयन हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को आवेदन करना होगा।
- (ज) यह सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाय कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पालने वाले इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों के पास पर्याप्त स्थान है।
- (झ) सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा 03 माह में एक बार निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पालने वाले कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों का सत्यापन कराया जायगा।
- 6(3) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल से गोवंश इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को दिये जाने की दशा में निम्न अमिलेखों की आवश्यकता होगी:-**
- पहचान पत्र- आधार कार्ड/वोटर आई०डी०/राशन कार्ड ।
 - बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें खाताधारक एवं बैंक का पूर्ण पठनीय विवरण अंकित हो।
- 6(4) अपनाये गये गोवंश को चिन्हित कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी दशा में विक्रय या स्थानापन्न नहीं किया जायेगा, इसके अनुश्रवण की जिम्मेदारी सम्बन्धित लेखपाल/पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी की होगी।**
- 7- चिन्हित कृषक/पशुपालक गोवंश को भरण-पोषण के सापेक्ष भुगतान:-**
- (क) प्रति पशु प्रतिदिन रू० 30/- (रू० तीस मात्र) की दर से शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप धनराशि देय होगी।
- (ख) चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक माह धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी एवं इसकी प्रगति की समीक्षा जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।
- (ग) भरण-पोषण हेतु धनराशि के ससमय हस्तान्तरण/भुगतान का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी का होगा।
- 8- चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश की मृत्यु होने पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान की उपस्थिति में नियमानुसार गोवंश का पंचनामा किया जायेगा। पशु की मृत्यु के सापेक्ष किसी संदेह/विवाद की अवस्था में स्थानीय**

पशुचिकित्सक एवं समीप के पशुचिकित्सालय के दूसरे पशुचिकित्सक (संयुक्त रूप से) द्वारा निःशुल्क शवविच्छेदन (शवविच्छेदन हेतु निर्धारित लेवी से मुक्त) किया जायेगा।

9- शव का निस्तारण सम्बन्धित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं के संसाधन से एवं तकनीकी सलाह से ही किया जायेगा।

10- यदि चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाये गये गोवंश की मृत्यु होने पर उसके द्वारा पुनः गोवंश की मांग की जाती है तो शासनादेश संख्या-4324/सैतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक-02.01.2019 द्वारा गठित विकासखण्ड समिति की संस्तुति पर जनपद स्तरीय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

11- चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाये गये गोवंश की मृत्यु अथवा किसी भी विवाद/पशु चोरी से सम्बन्धित किसी वाद पर जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12- सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश के भरण-पोषण हेतु चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित धनराशि का लेखा-जोखा पृथक से रखा जायेगा।

12(1) इस प्रयोजन हेतु उपयोग किये गये बैंक खातों का आन्तरिक सम्प्रेक्षा एवं वाह्य सम्प्रेक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

12(2) जनपद स्तरीय खातों का सम्प्रेक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से concurrent आडिट/कन्करन्ट सम्प्रेक्षण किया जायेगा।

13- भविष्य में योजना में किसी प्रकार के परिमार्जन/संशोधन की आवश्यकता होने पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

14- उक्त योजना में प्राविधानित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।

15- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त उत्तर प्रदेश में उपरोक्त योजना के अनुसार क्रियान्वयन करने हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीर्षस्थ प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(बी0 एल0 मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3258(1)/सैतीस-2-2019तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक, गोधन/संयुक्त निदेशक, नियोजन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 एल0 मीना)
प्रमुख सचिव।

**निराश्रित/बसेहारा गोवंश के भरण-पोषण हेतु
इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों के चयन हेतु आवेदन का प्रारूप**

क्रमांक	मद	विवरण
1	इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों का फोटोग्राफ	आवेदक का अधुनान्त पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो-चस्पा करें जो ग्राम प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित हो
2	नाम (जैसा पहचान पत्र में हो)	
3	पिता/पति का नाम	
4	पता	
5	आधार संख्या (छाया प्रति संलग्न करें)	
6	वोटर आईडी0 (छाया प्रति संलग्न करें)	
7	बचत बैंक खाते का विवरण (छाया प्रति संलग्न करें)	बैंक का नाम शाखा का नाम खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0
8	परिवार का विवरण (कुटुम्ब रजिस्टर/अद्यतन राशन कार्ड के अनुसार (छाया प्रति संलग्न करें)	
9	गोवंश की वांछित संख्या (1/2/3/4 संख्या अंकित करें)	

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- उपरोक्त सूचनाएँ सत्य हैं।
- कोई सूचना छिपाई नहीं गयी है।
- किसी प्रकार की गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊँगा।
- गोवंश को अपनाये जाने हेतु समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों/दशायें मुझे स्वीकार हैं।
- अपनाये गये गोवंश को बेचूँगा नहीं तथा किसी भी प्रकार की पशु क्रूरता नहीं करूँगा।

हस्ताक्षर इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....जिनका विवरण उपर उल्लिखित है को जानता व पहचानता हूँ तथा ग्राम सभा.....निवासी है एवं ग्राम में परिवार के साथ (सदस्य संख्या.....) निवास करते हैं। इनको अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल से गोवंश दिए जाने हेतु संस्तुति करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान मुहर सहित

निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण हेतु
चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल
से गोवंश की सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी श्री/श्रीमति निवासी
.....को अस्थायी गोवंश आश्रय
स्थल
विकास खण्ड तहसील जनपद से आज
दिनांक दिन को एक/दो/तीन/चार जिसका विवरण
निम्नवत् है को एतद्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हुए भरण-पोषण हेतु सुपुर्द
किया जाता है:-

क्र.स.	मद	गोवंश संख्यावार विवरण			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	टैग नम्बर				
2	प्रजाति				
3	उम्र				
4	लिंग				
5	रंग				
6	सींग				
7	दूध/सूखी (दुधारु गोवंश के संबन्ध में)				
8	दूध में है तो साथ संतति मादा/नर				

हस्ताक्षर कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान/अधिकांसी अधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी